# अध्याय 8
# विवरणियां

## [1][नियम 59 : जावक प्रदाय के ब्यौरे देने का प्ररूप और रीति

---

1 अधिसूचना क्रमांक 82/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.11.2020 द्वारा नियम 59 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2021)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था–

**"नियम 59 : जावक प्रदायों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति**

**(1)** एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 37 के अधीन मालों या सेवाओं की जावक प्रदाययों या दोनों के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित है, वह ऐसे ब्यौरों को इलैक्ट्रानिकी रूप में या **प्ररूप जीएसटीआर–1** में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

**(2)** मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के **प्ररूप जीएसटीआर–1** में प्रस्तुत ब्यौरों में निम्नलिखित शामिल होंगे–

**(क)** निम्नलिखित के बीजक–वार ब्यौरे–

**(i)** रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर राज्य और अंतःराज्य प्रदाय; और

**(ii)** गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को दो लाख पचास हजार रूपए से अधिक बीजक मूल्य के साथ की गई अंतर राज्य प्रदाय;

**(ख)** निम्नलिखित के एकीकृत ब्यौरे–

**(क)** प्रत्येक कर दर के लिए गैर–रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई अंतःराज्य प्रदाय; और

**(ख)** गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को दो लाख पचास हजार रूपए के बीजक मूल्य तक के साथ की गई अंतर राज्य प्रदाय;

**(ग)** पूर्व में जारी बीजकों के लिए मास के दौरान जारी नामे और प्रत्यय टिप्पण, यदि कोई हों।

**(3)** पूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदायों के ब्यौरों को इलैक्ट्रानिकी रूप में संबंधित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (प्राप्तिकर्ताओं) को **प्ररूप जीएसटीआर–2क** के **भाग क**, **प्ररूप जीएसटीआर–4क** और **प्ररूप जीएसटीआर–6क** के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटीआर–1** फाइल करने के लिए सम्यक् तारीख के पश्चात् उपलब्ध कराया जाएगा।

**(4)** प्राप्तिकर्ता द्वारा उसके धारा 38 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर–2** या धारा 39 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर–4** या **प्ररूप जीएसटीआर–6** में जोड़ी गई, सही की गई या लोप की गई आवक प्रदाययों के ब्यौरों को प्रदायकर्ता को इलैक्ट्रानिकी रूप में **प्ररूप जीएसटीआर–1क** के माध्यम से सामान्य पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसा प्रदायकर्ता प्राप्तिकर्ता द्वारा किए गए उपांतरणों को या तो स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा और प्रदायकर्ता द्वारा पहले प्रस्तुत **प्ररूप जीएसटीआर–1** उसके द्वारा स्वीकृत उपांतरणों के परिमाण तक संशोधित हो जाएगा।

[A][**(5)** इस नियम में किसी भी बात के होते हुए भी,–

**(क)** यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने पिछले दो महीने के लिए प्ररूप **जीएसटीआर–3ख** में विवरणी प्रस्तत नहीं करी है तो उसे धारा 37 के अधीन प्ररूप **जीएसटीआर–1** में अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।

**(ख)** ऐसी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसे धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन हर तिमाही का रिटर्न भरना जरूरी हो, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप **जीएसटीआर–1** में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप **जीएसटीआर–3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न है, धारा 37 के अधीन माल या सेवा या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे देने के लिए अपेक्षित है, किसी मास के या तिमाही के लिए, जैसा भी मामला हो, **प्ररूप जीएसटीआर–1** में ऐसे ब्यौरे सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप में, या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से, प्रस्तुत करेगा।

[2][**परंतु** उक्त व्यक्ति, कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–1** में माल या सेवा या दोनों के जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के पश्चात किंतु उक्त कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी फाइल करने के पूर्व अपने विकल्प पर, या तो प्रत्यक्षतः या सुविधा केन्द्र के माध्यम से जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए, सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से उक्त कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–1क** में माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदायों के अतिरिक्त ब्यौरों का संशोधन कर सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा।]

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसके द्वारा धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रदान किए गए माल या सेवा या दोनों के ऐसे जावक प्रदाय के ब्यौरे, जैसा वह आवश्यक समझे, तिमाही के पहले या दूसरे माह में, प्रत्येक माह में पचास लाख रूपये का संचयी मूल्य तक, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए, (जिसे उक्त अधिसूचना में ''आई एफ एफ'' कहा गया है) नियम 26 के अधीन विहित रीति में साम्यक रूप से अधिप्रमाणित, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के पहले दिन से उस मास के 13वें दिन तक, प्रस्तुत कर सकता है।

[3][**परन्तु** कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माह अप्रैल, 2021 के लिए बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए उक्त ब्यौरों को, मई 2021 के पहले दिन से 28वें दिन तक प्रस्तुत कर सकता है।]

---

**(ग)** ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिस पर नियम 86(ख) के अधीन यह प्रतिबंध हो कि, 99% से अधिक देयकर का भुगतान करने के लिए वह अपने इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं कर सकता है, धारा 37 के अंतर्गत **प्ररूप जीएसटीआर–1** में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

**A** अधिसूचना क्रमांक 94/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा उपनियम (5) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

[2] अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा परन्तुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)।

[3] अधिसूचना क्रमांक 13/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.05.2021 द्वारा परन्तुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.05.2021)।

[4][**परन्तु यह भी** कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माह मई, 2021 के लिए, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए उक्त ब्यौरों को, जून 2021 के पहले दिन से 28वें दिन तक प्रस्तुत कर सकता है।]

(3) तिमाही के पहले और दूसरे माह में आई एफ एफ का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किए गए जावक प्रदाय के ब्यौरे को उक्त तिमाही के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–1** में प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

(4) **प्ररूप जीएसटीआर–1** में प्रस्तुत किए गए माल या सेवा या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे में निम्नलिखित शामिल होंगे–

**(क)** सभी के बीजकवार ब्यौरे –

**(i)** रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किया गया अन्तरराज्यिक और अन्तरराज्यिय प्रदाय, और

**(ii)** अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किया गया [5][एक लाख रूपए] से अधिक बीजक मूल्य के साथ अन्तरराज्यिक प्रदाय(

**(ख)** सभी के समेकित ब्यौरे –

**(i)** प्रत्येक दर के कर के लिए अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किया गया अन्तरराज्यिय प्रदाय, और

**(ii)** प्रत्येक दर के कर के लिए अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किया गया [6][एक लाख रूपए] तक बीजक मूल्य के साथ राज्यवार अन्तरराज्यिक प्रदाय(

**(ग)** पहले जारी किए गए बीजक के लिए, माह के दौरान, जारी किए गए विकलन या प्रत्यय पत्र, यदि कोई हों।

[7][**(4क)** प्ररूप जीएसटीआर–1क में प्रस्तुत माल या सेवाओं या दोनो के जावक प्रदायों के के अतिरिक्त ब्यौरों या उनके ब्यौरों के संशोधनों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की अपेक्षाओं के अनुसार,–

**(क)** निम्नलिखित के बीजक वार ब्यौरे सम्मिलित हों सकेंगे–

**(i)** रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अंतरराज्यिक और अंतरा–राज्यिक प्रदाय :

**(ii)** अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किए गए ''एक लाख रूपये से अधिक बीजक मूल्य वाले अंतरराज्यिक प्रदाय :

**(ख)** निम्नलिखित के समेकित ब्यौरे,–

**(i)** कर की प्रत्येक दर के लिए अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई अंतरा–राज्यीय पूर्ति : और

---

4 अधिसूचना क्रमांक 27/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.06.2021 द्वारा दूसरा परन्तुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.06.2021)।

5 अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा ''ढ़ाई लाख रूपये'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.08.2024)।

6 अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा ''ढ़ाई लाख रूपये'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.08.2024)।

7 अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा उपनियम (4क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)।

(ii) कर की प्रत्येक दर के लिए अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को एक लाख रूपये तक के बीजक मूल्य के साथ राज्यवार गई अंतरा–राज्यीय पूर्ति :

(ग) पूर्व में जारी किए गए बीजकों के लिए मास के दौरान जारी किए गए विकलन और प्रत्यय नोट, यदि कोई हों।]

(5) आई एफ एफ का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किए गए माल या सेवा या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे में निम्नलिखित शामिल होगा–

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किए गए अन्तरराज्यिक और अन्तरराज्यिय प्रदाय के बीजकवार ब्यौरे

(ख) पहले जारी किए गए बीजक के लिए, माह के दौरान, जारी किए गए विकलन और प्रत्यय पत्र, यदि कोई हों।]

[(6) इस नियम में किसी भी बात के होते हुए भी,–

(क) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने [9][पूर्ववर्ती मास के लिए] **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं करी है तो उसे धारा 37 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर–1** में अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।

(ख) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसे धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन हर तिमाही का रिर्टन भरना जरूरी हो, धारा 37 के अंतर्गत **प्ररूप जीएसटीआर–1** में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) [10][.....]]

[11][(घ) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे कर अवधि के संबंध में नियम 88ग के उपनियम–1 के उपबंधों के अधीन सामान्य पोर्टल पर एक सूचना जारी की गई है, को धारा 37 के अधीन माल या सेवाओं या दोनों के जावक आपूर्तियों के ब्यौरे, पश्चात्वर्ती कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–1** में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी या, जब तक कि उसने

---

9 अधिसूचना क्रमांक 35/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा ''पिछले दो महीने के लिए'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)।

10 अधिसूचना क्रमांक 35/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा खंड (ग) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

''(ग) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिस पर नियम 86ख के अधीन यह प्रतिबंध हो कि 99% से अधिक देय कर का भुगतान करने के लिए वह अपने इलैक्ट्रानिक लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं कर सकता है, धारा 37 के अंतर्गत **प्ररूप जीएसटीआर–1** में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।''

11 अधिसूचना क्रमांक 26/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा खंड (घ) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।

या तो उक्त सूचना में निर्दिष्ट राशि जमा नहीं की हो या किसी असंदत्त राशि के कारणों को स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रस्तुत न किया हो जो नियम 88ग के उपनियम–2 के उपबंधों के अधीन यथा अपेक्षित है।]

[12][(ङ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे किसी कर अवधि या अवधियों के संबंध में नियम 88घ के उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन सामान्य पोर्टल पर कोई इत्तला जारी की गई है, को **प्ररुप जीएसटी–1** में धारा 37 के अधीन माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरें प्रस्तुत करने या किसी पश्चातवर्ती कर अवधि के लिए बीजक प्रस्तुत करने की प्रसुविधा का उपयोग करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह या तो उक्त इत्तला में यथा विनिर्दिष्ट अधिक इनपुट कर प्रत्यय के समतुल्य रकम को संदत्त नहीं करता है या नियम 88घ के उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित अधिक इनपुट कर प्रत्यय की रकम जिसका संदाय किया जाना अभी शेष है, के संबंध में कारणों को स्पष्ट करते हुए कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं करता है,

(च) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को **प्ररुप जीएसटी–1** में धारा 37 के अधीन माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरें प्रस्तुत करने या बीजक प्रस्तुत करने की प्रसुविधा का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसने नियम 10क के उपबन्धो के अनुसार बैंक खाते के ब्यौरें प्रस्तुत नहीं किए हैं।]

---

[12] अधिसूचना क्रमांक 38/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा खंड (ङ) एवं (च) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.08.2023)।